डीजी-- परिपत्र सं0-- 11 /2022.

मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, सिग्नेचर बिल्डिंग,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
दिनांकः मई 04, 2022

विषयः मुख्यालय से जाँच हेतु प्रेषित प्रा0पत्रों/संदर्भो में कमिश्नरेट/जोन/परिक्षेत्र/जनपदों द्वारा सतही तौर पर जाँच कर आख्यायें प्रेषित जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काफी संख्या में आवेदक कतिपय समस्याओं को लेकर संबंधित कमिश्नरेट/जोन/परिक्षेत्र/जनपद मुख्यालय पर उपस्थित होकर शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। शिकायती प्रार्थना पत्रों में बडी संख्या में जन–शिकायतों के साथ विभिन्न प्रकरणों में पंजीकृत मुकदमों की जाँच/विवेचनात्मक कार्यवाही सही ढंग से न किये जाने से सम्बन्धित तथ्य/आरोप अंकित होते हैं। इन प्रार्थना पत्रों पर फील्ड स्तर पर समुचित कार्यवाही न किये जाने के कारण उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मुख्यालय से आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर स्पष्ट निर्देश अंकित कर निर्धारित समयावधि में स्पष्ट जाँच आख्या सुस्पष्ट टिप्पणी/अभिमत सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र निर्गत किये जाते हैं।

2. उक्त सम्बंध में प्रायः यह देखने में आया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित समस्याओं के निस्तारण हेतु पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है, उनके द्वारा संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारियों से कराने के पश्चात् प्राप्त जाँच आख्याओं की बिना समीक्षा किये सुस्पष्ट अभिमत रहित आख्यायें **"मूलरूप में संलग्न कर स्वतः स्पष्ट जाँच आख्या प्रेषित है"** अंकित कर इस मुख्यालय को प्रेषित की जा रही हैं।

3. अधिकांश जाँच आख्यायें निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् विलम्ब से प्रेषित की जाती है तथा उनमें कई प्रकरण टंकण व तथ्यात्मक त्रुटियों के पाये जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता है।

4. प्राप्त जाँच आख्याओं का मुख्यालय स्तर पर परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि जिन प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत हैं, उनमें प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जाँच/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या में प्रा0पत्र में लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है। प्रेषित आख्या में मात्र कार्यवाही के नाम पर सी0डी0 काटने का दिनांक, विवेचक नाम तथा विवेचना प्रचलित, विवेचना स्थानांतरण/ग्रहण आदि का उल्लेख करते हुये आख्यायें

––2

भेजी जा रही हैं। घटनाक्रम, विवेचना, साक्ष्य तथा प्रार्थनापत्र के बिन्दुओं के सम्बंध में आख्या में टिप्पणी न होने कारण मुख्यालय स्तर पर प्राप्त आख्याओं की उचित समीक्षा करना सम्भव नहीं हो पाता है। आवेदक की समस्या का समाधान न होने के कारण उसे बार–बार मुख्यालय आना पड़ता है, जिससे आम जनमानस के मध्य पुलिस विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कार्यप्रणाली कदापि उचित नहीं कही जा सकती है।

5. मुख्यालय से प्राप्त संदर्भों के लिये अलग से फाइल/फोल्डर होना अनिवार्य है। जाँच आख्या प्रेषित करने से पूर्व जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद /पुलिस उपायुक्त का यह दायित्व है कि वे स्वयं आख्याओं की समीक्षा करें तथा गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करें।

6. शिकायती प्रार्थनापत्रों की जॉच आख्याओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित कराये जाने के लिये अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में अवश्य नामित किया जाये।

7. जांच का उद्देश्य प्रकरण में वास्तविक घटनाक्रम का अन्वेषण कर लगाये गये आरोपों /तथ्यों के आधार पर समीक्षोपरांत उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराना है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है इस मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों में अंकित समस्त बिन्दुओं/तथ्यों की जाँच जोन/कमिश्नरेट/परिक्षेत्र/जनपद स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कराते हुए उसकी स्वंय समीक्षोपरांत सुस्पष्ट अभिमत सहित आख्या निर्धारित समयाविध में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकरण में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो उसके क्रम में अलग से अनुरोध किया जा सकता है। भविष्य में इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी,जनपद/पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट उ0प्र0।